

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

पंचायत चुनाव में महिला भागीदारी

Dr. Sukhjinder Singh

Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Government Engineering College, Jhalawar, India

सार

महिलाओं के सत्ता की सीटों पर कब्जा करने के लगभग तीन साल बाद, बदलाव पहले से ही देखे जा सकते हैं। कई पंचायतों ने आर्थिक तंगी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। औसतन लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रत्येक ग्राम पंचायत (हरियाणा में 1.5 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश में 2.3 लाख रुपये उत्तर प्रदेश में 90,000 रुपये, मध्य प्रदेश में 6.5 लाख रुपये, केरल में 66 लाख रुपये) तक पहुंचता है। गांव में विकास कार्य। चूंकि पंचायतों के लिए इस पैसे का अधिकांश हिस्सा पहले से ही कुछ बुनियादी ढांचे और अन्य विकास गतिविधियों के लिए बंधा हुआ है और प्रतिबद्ध है, इसलिए पंचायतों को कार्यक्रम की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में अधिक स्वायत्तता नहीं है। हालांकि, केरल की पीपुल्स प्लान (केपीपी) स्थानीय पहल के लिए गुंजाइश देने वाली गैर-सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए औसतन 30 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत आवंटित करती है।

प्रभाव शायद प्रांतीय राजनीति में महिलाओं के प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कई सामाजिक मिथक टूटने लगे हैं। जो लोग शुरू में सत्ता की भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने के बारे में निंदक थे, उनका तर्क था कि महिलाओं को अपने पतियों के लिए डमी के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि, एक तरह से या अन्य, महिलाएं अपनी खुद की अज्ञानता या घरेलू कर्तव्यों द्वारा उन पर लगाई गई अन्य सीमाओं के कारण प्रशासक के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ होंगी। यहां तक कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में भी, जहां निचले स्तरों का राजनीतिकरण पहले ही हो चुका था, आम धारणा यह थी कि महिलाएं महज रबर स्टैप होंगी।

परिचय

सदियों से पुरुषों का विशेषाधिकार माने जाने वाली राजनीति और शासन अब जमीनी स्तर पर बदल रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व की कई सफलता की कहानियों के साथ-साथ प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रियों के रूप में भारत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के कुछ आयामों में सबसे आगे रहा है। आज, कोविड -19 के युग में, पीआरआई में महिला नेता स्वतंत्र उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में अपनी भूमिका में आ गई हैं, एक ऐसे डोमेन में अपना रास्ता बना रही हैं जिसमें उन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया है।[1]

अप्रैल 1993 में, भारत ने संविधान में 73वें संशोधन के कार्यान्वयन के साथ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसने पंचायत राज संस्थानों में आबादी के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया। इस संशोधन के माध्यम से, इन संस्थानों के सदस्यों और अध्यक्षों के रूप में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। 1995 तक, पंचायतों में महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, केरल और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के साथ, जहां महिलाओं ने 38% सीटें भरीं (अहमद एट अल।, 2008)। 30 लाख प्रतिनिधियों में से 13 लाख महिलाएं हैं जो अब पंचायतों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं (भटनागर, 2019)। वर्तमान में, भारत में 20 राज्यों ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान किए हैं और महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा जैसे राज्यों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि किसी गांव में अध्यक्ष एक पुरुष है, तो उपाध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए (मोहंती, 1995)। महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बदल दिया है और ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने और ग्राम शासन में शामिल होने की शक्ति प्रदान की है।[2]

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019



1992, जब में 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन पेश किया स्थानीय स्वशासन, यह 1/3 के साथ निर्णय निर्माताओं के रूप में जानबूझकर सशक्तिकरण महिलाओं के लिए एक अद्वितीय कदम था वां सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की। आज 14 राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का 50 से 58 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। 58% के साथ झारखंड सबसे आगे है, इसके बाद राजस्थान और उत्तराखंड का नंबर आता है।[3]

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिला सरपंचों की संख्या 19,992 है, लेकिन कुल सरपंचों का केवल 34% है। ओडिशा राज्य में 3600 महिला सरपंच हैं, जो कुल संख्या का 58% से अधिक है। मणिपुर में केवल 2% प्रतिनिधित्व के साथ महिला सरपंचों का प्रतिशत सबसे कम है।

राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के अनुसार भारत सरकार के आँकड़े, विभिन्न राज्य विधान सभाओं के लिए 2017 के लिए 2013 के दौरान आयोजित चुनावों के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व का प्रतिशत केवल 14% के रूप में उच्च के रूप में है (बिहार, हरियाणा और राजस्थान में)। 2017 तक, अखिल भारतीय स्तर पर औसतन, राज्य विधानसभा सदस्यों में से 9% और राज्य परिषद के 5% सदस्य महिलाएं थीं। मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी में शून्य महिला विधायक हैं।[4]

**International Journal of Innovative Research in Science,
Engineering and Technology**

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019



पंचायत चुनाव में महिला


International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

अवलोकन




आंध्र प्रदेश में राज्य विधान परिषद में महिला सदस्यों का उच्चतम प्रतिशत 9% है, जो अखिल भारतीय औसत 5% से 4% अधिक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन के एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं के मामले में संस्थागत और सामाजिक बाधाओं के कारण प्रभावी भागीदारी अक्सर कम हो जाती है। महिलाओं को सक्रिय भागीदारी में सक्षम बनाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत सुधार के साथ-साथ मौजूदा सत्ता संरचनाओं जैसे दमनकारी पितृसत्ता, घर पर और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और भावनात्मक हिंसा को खत्म करने की आवश्यकता होगी। अध्ययन के निष्कर्ष इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को विभिन्न लिंग विशिष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है। [5] चूंकि अधिक से अधिक महिलाएं शासन निकायों के भीतर अपना सही स्थान लेने की इच्छा रखती हैं, इसलिए सभी संस्थानों (राज्य, परिवार और समुदाय) के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा में अंतराल को पाटने, लिंग भूमिकाओं पर फिर से बातचीत करने, श्रम के लिंग विभाजन पर प्रतिक्रिया दें। और पक्षपातपूर्ण रवैये को संबोधित करते हुए। इस, सामरिक लिंग हितों को शासन प्रक्रियाओं के केंद्र में रखने के लिए संस्थागत और परिचालन ढांचे को उत्पन्न करने के लिए एक प्रवचन के साथ मिलकर पंचायतों की लोकतंत्र और समान विकास के स्थान के रूप में क्षमता का दोहन करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019



हरियाणा में महिलाओं की अब राज्य के पंचायत चुनावों में समान भागीदारी होगी क्योंकि विधानसभा ने शुक्रवार को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें रखी जाएं।

जबकि जजपा ने इसे "महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण" कहा, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्पष्ट किया कि "यह आरक्षण नहीं, बल्कि भागीदारी थी"।[6]

आरक्षण और भागीदारी के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए, खट्टर ने कहा, "हमने एक पंचायती राज दूसरा संशोधन विधेयक पारित किया। पहले महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी से कम नहीं थी। उस प्रावधान के साथ ही, 41-43 प्रतिशत महिलाओं को सरपंच के रूप में चुना गया था। लेकिन, तब इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने के सुझाव मिले थे। इस प्रकार, हमने आरक्षण के बजाय 'भागीदारी' की शुरुआत की है। अन्यथा, यह (निर्वाचित महिलाओं की संख्या) आरक्षण के आधार पर 65-66 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

विचार – विमर्श

संशोधन के बारे में बात करते हुए दुष्यंत ने कहा, 'यह नियम भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, प्रखंड पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव में लागू होगा। प्रत्येक गांव को सम-विषम संख्याओं के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पहली बार सम संख्या वाले गांवों में सरपंच महिला होगी और अगली बार विषम संख्या वाले गांव में महिला सरपंच का चुनाव होगा। इस तरह हर दस साल में से पांच में हरियाणा के हर गांव में एक महिला सरपंच होगी। यह नियम आरक्षित पदों पर भी लागू होगा और उनमें भी पद

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

सम-विषम संख्या के आधार पर आरक्षित होंगे। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की पंचायतों के संबंध में भी यही प्रक्रिया कायम रखी जाएगी और पंचायत के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए होंगे। लैंगिक समानता मूल रूप से सतत विकास से संबंधित है, और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर इसे एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है।[7]

भूखे पेट मतदान करेंगी महिलाएं



लैंगिक सशक्तिकरण का निर्धारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने में की जाने वाली गतिविधियों से होता है। स्थानीय सरकार के संदर्भ में, लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण भागीदारी, प्रतिनिधित्व और अच्छे काम के अवसरों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि संविधान महिलाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिनिधि संस्थानों जैसे संसद और स्थानीय सरकारी निकायों में निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान करता है, लिंग असमानता, राजनीतिक क्षेत्र में भी मौजूद समस्याओं के संग्रह के रूप में मौजूद है। आज राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है लेकिन उनकी कम भागीदारी के कारण, उनके मुद्दे और समस्याएं आम तौर पर अनदेखी और अनजान होती हैं। निर्णय लेने के स्तरों में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत करती है और शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति को भी बदल देती है। इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन ने शिवगंगई जिले में लिंग चुनौतियों, नेतृत्व शैली में लिंग प्रभाव, लिंग भूमिका और निर्वाचित पंचायत नेताओं की जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है।[3]

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019



अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की। निर्णय लेने के स्तरों में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत करती है और शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति को भी बदल देती है।[4]



इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन ने शिवगंगई जिले में लिंग चुनौतियों, नेतृत्व शैली में लिंग प्रभाव, लिंग भूमिका और निर्वाचित पंचायत नेताओं की जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की। निर्णय लेने के स्तरों में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत करती है और शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति को भी बदल देती है। इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन ने शिवगंगई जिले में लिंग चुनौतियों, नेतृत्व शैली में लिंग प्रभाव, लिंग भूमिका और निर्वाचित पंचायत नेताओं की जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है।[5]

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019



अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत करता है और शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति को भी बदल देता है। इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन ने शिवगंगई जिले में लिंग चुनौतियों, नेतृत्व शैली में लिंग प्रभाव, लिंग भूमिका और निर्वाचित पंचायत नेताओं की जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मजबूत करता है और शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रकृति को भी बदल देता है। इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन ने शिवगंगई जिले में लिंग चुनौतियों, नेतृत्व शैली में लिंग प्रभाव, लिंग भूमिका और निर्वाचित पंचायत नेताओं की जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की। अध्ययन का नमूना आकार 50 है और डेटा संग्रह के लिए हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों ने ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के प्रदर्शन और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता की।[6]

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

परिणाम

2014 के आम चुनावों में, 7577 पुरुष उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे और उनमें से 481 निर्वाचित हुए थे।



पुरुषों की तुलना में महिला प्रतियोगियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम 668 थी और चुनी गई महिला प्रतियोगिताएं मात्र 62 थीं। यह एक ऐसे देश में है जिसने पहले चुनाव से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी थी और नियमित अंतराल पर चुनाव में जा रहे थे। अब 65 साल से अधिक हो गया है, यह चिंताजनक है और भारत में महिलाओं की एक विशाल बहुमत की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करता है। संवैधानिक गारंटियों और सुरक्षा उपायों के बावजूद न तो महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों का सही अर्थों में प्रयोग करने में सक्षम हैं और न ही इसने महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को प्रभावित किया है। [7]



International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

झारखंड में भी मामला अलग नहीं है. मेरी पंचायत मेरी शक्ति मुझे भी गीनो जमीनी स्तर पर राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की एक पहल थी। क्रीए ने ओनियनदेव के साथ मिलकर झारखंड में गांव के सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने वाले एक अभियान की परिकल्पना की थी। महिला नेतृत्व का पोषण करने वाले एक संगठन के रूप में, CREA ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ओनियनदेव के दृष्टिकोण के साथ अभिसरण पाया। झारखंड पंचायत चुनाव के चार चरणों में 22 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक के मद्देनजर राज्य की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए अभियान की शुरुआत हुई.

अभियान के ब्लू प्रिंट में कई उद्देश्यों की कल्पना की गई थी, जिसके आधार पर अभियान को आगे बढ़ाया गया था। सात सप्ताह के अभियान ने कुछ प्रमुख अभियान उपकरणों का उपयोग किया जैसे ऑडियो ड्रामा, मोनोलॉग, विशेषज्ञ साक्षात्कार और पैनल चर्चा के रूप में सूचना सामग्री, उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री, क्षेत्र में सामुदायिक जुटाना और प्रभाव को मापने के लिए सर्वेक्षण।[2]

अभियान का मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण सकारात्मक परिणाम दर्शाता है। बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्य न केवल सूचनात्मक सामग्री से जुड़े, बल्कि विभिन्न प्रारूपों में उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री को रिकॉर्ड करके प्रतिक्रिया भी दी। यह कार्यक्रम के साथ उनके उच्च जुड़ाव को दर्शाता है। इस अभियान ने कई प्रेरक केस स्टडीज और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के शक्तिशाली व्यक्तिगत आख्यान को सामने लाया। वे पुरुषों के आधिपत्य को तोड़ने और अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रही महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।[3]

निष्कर्ष

हर देश को सबसे अच्छा संभव नेता मिलना चाहिए और इसका मतलब है कि महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें कभी भी चुनावी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो देश वास्तव में बहुत अधिक प्रतिभाओं को लूट रहे हैं। लोकतंत्र के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए राजनीति और सरकार में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। [1]



International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाली महिलाओं को मतदाताओं, राजनीतिक नेताओं और निर्वाचित अधिकारियों के रूप में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लोकतंत्र वास्तव में अपने सभी नागरिकों के लिए उद्धार नहीं कर सकता है यदि आधी आबादी राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व करती है। पंचायती राज, ग्रामीण सरकार की आधारशिला ने अधिक से अधिक महिला प्रतिभागियों और नेताओं को बढ़ावा दिया है। कई राज्यों ने महिलाओं के लिए न केवल आवश्यक 33% पंचायत सीटें आवंटित की हैं, बल्कि इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। महिला आरक्षण न केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व बल्कि वंचित समूहों को स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की पर्याप्त डिलीवरी सुनिश्चित करने का एक साधन हो सकता है। प्रभाव अंतर्निहित प्रक्रिया जो भी हो, महिला नेता जमीन पर फर्क करती हैं। राजनीतिक एजेंसी में असंतुलन को ठीक करने से अन्य क्षेत्रों में भी असमानताओं को ठीक किया जा सकता है।[4]

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हाल के वर्षों में चर्चा का विषय रही है।

जाति, संस्कृति और पितृसत्ता के प्रभुत्व के कारण महिलाओं में सार्वजनिक जीवन के प्रति अज्ञानता पैदा हुई है। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की प्रक्रिया क्षणभंगुर अवस्था में है और ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की बेहतर भागीदारी में सुधार लाने के लिए इस पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को अभी भी प्रभावी भागीदारी के लिए मान्यता की आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब महिलाओं को उस स्तर तक लाया जाएगा जहां वे जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग ले सकें।[5]



सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से राजनीतिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ग्राम पंचायत की स्थानीय संस्था में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की जांच करना है। 73 तृतीय भारतीय संविधान के संशोधन में महिलाओं को सकल मूल शासन के माध्यम से ग्राम विकास में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए एक स्थान दिया गया है। हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में देखा गया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को पंचायत संस्थाओं के लिए चुना जा रहा है। [6] हालांकि, यह देखा गया है कि नेतृत्व की कमी सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी वैध भूमिका निभाते समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा कर रही है। यह पत्र आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के तटीय क्षेत्र से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा सामना किए गए खराब नेतृत्व से संबंधित है। निष्कर्षों से पता चला कि पंचायतों के कामकाज और चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में संतोषजनक नहीं है। एक संकीर्ण समाज और निम्न स्तर की शिक्षा ग्रामीण स्थानीय लोकतंत्र में उनकी निष्क्रिय भागीदारी के लिए जिम्मेदार है।[7]



ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 8, Issue 10, October 2019

संदर्भ

1. "भारत में पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?". Jagranjosh.com. 2020-04-24. अभिगमन तिथि 27 January 2021.
2. सरकार, सियूली (2010). "7.3.3 Panchayat Samiti (पंचायत समिति)". Public Administration In India [भारत में सार्वजनिक प्रशासन] (अंग्रेज़ी में). नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड. पृष्ठ 178–180. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-203-3979-8.
3. सिंह, सिंह विपुल (2010). "Section II Civics: Chapter 8 Rural Local Self-Government". Longman History & Civics ICSE 9 (अंग्रेज़ी में). नोइडा, उत्तर प्रदेश, भारत: डोर्लिंग किंडेर्सली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड. पृष्ठ 265. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-317-2041-7.
4. रमेश कुमार अरोड़ा और रजनी गोयल (1995). "Chapter 17 Panchayat Raj: Struggle For Effectiveness". Indian Public Administration: Institutions and Issues (अंग्रेज़ी में) (दूसरा संस्करण). नई दिल्ली: विश्व प्रकाशन. पृष्ठ 298–300. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7328-068-9.
5. Singh 2010
6. "Section A Civics: Chapter 7 Local Self-Government". History & Civics IX (eighth संस्करण). New Delhi: Rachna Sagar Private Ltd. 2011. पृष्ठ 67. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-8137-083-9.
7. जी॰आर॰ मदन (1990). "Chapter 16 Panchayati Raj". India's Developing Villages (second संस्करण). नई दिल्ली: अलाइड पब्लिशर्स. पृष्ठ 343. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7023-281-0.